कार्यालय :– जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा।

समाहरणालय परिसर, विकास भवन–बी0, प्रथम तल्ला।

संख्यांक–

प्रपत्र–02

तारीख–

सेवा में,

प्राचार्य,
एन0 पी0 एस0 गुरूकुलम पब्लिक स्कूल सिरहे,
मेराल

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04.2019 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महाशय,

आपके द्वारा दिनांक 23.11.2022 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात हुए पत्राचार, विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन, RTE के पोंटल पर विद्यालय द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर तथा जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, गढ़वा की दिनांक 16.01.2024 को सम्पन्न बैठक की प्रस्ताव संख्या 01 में लिये गये निर्णय के आलोक में, मैं जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा, एन0 पी0 एस0 गुरूकुलम पब्लिक स्कूल सिरहे, मेराल को शैक्षणिक सत्र 2022–23 से कक्षा 01 से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन हैः–

01. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबंधों को पूर्ण रूपेण पालन करेगा।
03. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–परोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
04. उक्त कंडिका 03 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्त्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
05. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
07. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पुरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा।
iii. प्रारंभिक शिक्षा पुरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
vi. अध्यापकों की भर्त्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्त्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्त्ता, अधिनियम 2009 के लागू होने के समय नहीं है, पास वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्त्ताएँ अर्जित कर लेंगे।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।

viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों का बनाए रखेगा।

10. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नासुार है:-

i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल – 205167.6 sq.ft

ii. कुल निर्मित क्षेत्र – 16000 sq.ft.

iii. क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल – 189000 sq.ft.

iv. कक्षाओं की संख्या – 16 कक्षा

v. प्रध्यापक–सह–कार्यालय –सह–भंडार के लिए कक्ष – 04

vi. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – है।

vii. पेयजल सुविधा – है।

viii. मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)

ix. बाधारहित पहुँच पथ – है।

x. अध्यापन पठन सामग्री/ क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों /पुस्तकालय की उपलब्धता–है।

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर प्राथमक शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्त्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 024 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाये।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गढ़वा।
16/2/24

ज्ञापांक 131 / गढ़वा, दिनांक 17/02/2024 /

प्रतिलिपि:– संबंधित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, गढ़वा को सूचनार्थ सादर समर्पित।

प्रतिलिपि:– उपायुक्त, गढ़वा को सूचनार्थ सादर समर्पित।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गढ़वा।
16/2/24